कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 21.10.2021

मैसर्स मारवाड़ कन्सट्रक्शन कम्पनी, जोधपुर द्वारा "Construction of U/s approach channel at RD 1437m & petty work on Bandi Sandhara Medium Irrigation Project"कार्य पर उत्पन्न विवादों का निस्तारण अनुबंध के क्लॉज 23 के तहत एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 24.04.2013 में दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त कमेटी द्वारा वादी फर्म के समस्त क्लेमों को खारिज किया जाने का निर्णय लिया गया। कमेटी के निर्णय के विरूद्ध वादी फर्म द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, जालोर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.12.2020 में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी द्वारा किये जाने वाले क्लेम एवं आपत्तियों पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रलेख एवं साक्ष्य पर विचार कर सुनवाई के पश्चात् विधि सम्मत पंचाट पारित करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी. सिविल मिस. अपील संख्या 195/2021 में अपने निर्णय दिनांक 09.03.2021 में न्यायालय जिला न्यायाधीश, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2020 में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय पारित किया गया।

माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, जालोर के निर्णय दिनांक 18.12.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.03.2021 की पालना में शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2021 को सांय 04.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में M/s Marwar Construction Company, Jodhpurद्वारा अनुबंध संख्या 07/2010–11 के अन्तर्गत वादी फर्म को आवंटित कार्य "Construction of U/s approach channel at RD 1437m & petty work on Bandi Sandhara Medium Irrigation Project"के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री हृदयेश कुमार जुनेजा, संयुक्त शासन सचिव (व्यय–III), प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री सुनिल कुमार राघव, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विनोद चौधरी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेश कुमार टेपण, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर।

विभाग की ओर से श्री हरीश बाबू शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, जालोर उपस्थित हुये तथा वादी फर्म की ओर से श्री शैतान सिंह सांखला उपस्थित हुए।

कार्य एवं विवाद का संक्षिप्त विवरण :–

Construction of U/S Approach channel at RD 1437 M & petty work on Bandi Sanadhara Medium Irrigation Project कार्य की निविदा अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जोधपुर के पत्रांक लेखा/4389 दिनांक 23.07.2010 के द्वारा मैसर्स मारवाड कन्स्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर के पक्ष में राशि रूपये 38,62,671.00 स्वीकृत की गई। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर के पत्रांक अ.अ. /लेखा/2010–2011/3767–71 दिनांक 28.07.2010 के द्वारा फर्म को कार्यादेश जारी किया गया। गठित अनुबंध संख्या 07 वर्ष 2010–11 के अनुसार कार्य शुरू करने व पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 07.08.2010 व 06.12.2010 थी।

समिति की पूर्व बैठक दिनांक 01.09.2021 में वादी फर्म के श्री शैतान सिंह सांखला द्वारा समिति के समक्ष रिजॉइंडर प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर को वादी फर्म द्वारा प्रस्तुत रिजॉइंडर का प्रत्युत्तर देने एवं अगली सुनवाई में विभागीय पक्ष रखने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाना तय कियाः–

Claim No. 1 (Original) Loss of profit due to no work as water logging in the Dam@10% Rs. 386267.00

Claim No. 2 (Revised as per rejoinder dated 01.09.2021) Loss of profit @15% of the amount of work Rs. 579400.00

वादी फर्म द्वारा अनुबंध की धारा 23 के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2012 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन के तहत कुल 4 क्लेम्स राशि रूपये 8,93,405/– (दिनांक 21.05.2021 तक 18 प्रतिशत ब्याज राशि सहित) के प्रस्तुत किये गये थे। प्रकरण में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में दिनांक 01.09.2021 को समिति की बैठक आयोजित की गई थी उसमें वादी फर्म द्वारा रिजाईण्डर के माध्यम से संशोधित 3 क्लेम राशि रूपये 26,49,160/– (दिनांक 01.09.2021 तक 18 प्रतिशत ब्याज राशि सहित) के प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त क्लेम के संदर्भ में अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालौर ने अवगत कराया कि संवेदक ने निर्धारित समयावधि में कार्य शुरू नहीं किया बाद में बांध में पानी आ गया, यदि संवेदक समय पर कार्य शुरू करता तो कार्य किया जा सकता था तथा पानी आने के बाद भी सेफ्टी रेलिंग तथा डाउन स्ट्रीम का कार्य किया जा सकता था। इस संदर्भ में सहायक अभियन्ता, बाण्डी सणधरा जल सांसधन उपखण्ड, भीनमाल द्वारा भी अपने पत्र कमांक लेखा/8 दिनांक 17.01.2011 के माध्यम से वादी फर्म को डाउन स्ट्रीम एप्रोच चैनल, स्ल्युस प्लेटफार्म, साईफन एवं अन्य पैटी वर्क का कार्य किया जा सकता है जिसकी लागत लगभग 8.30 लाख है। इसके उपरान्त वादी फर्म ने अपने पत्र दिनांक 15.03.2011 के माध्यम से कार्य की प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथि नियमानुसार बिना शास्ती के बढाये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांक 18.03.2011 द्वारा कार्य की प्रोविजनल समयावधि अनुबंध की धाराओं को सुरक्षित रखते हुए 04 माह यानि दिनांक 17.07.2011 तक बढायी गई।

संवेदक को बार–बार लिखने के पश्चात भी कार्य शुरू नहीं किया। संवेदक ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2012 के द्वारा कार्य वापस लेने हेतु निवेदन करने पर विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2012 को कार्य वापस ले लिया गया।

समिति द्वारा दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् पाया कि कार्यस्थल की परिस्थिति के मध्यनजर वादी फर्म द्वारा कार्य शुरू किया जा सकता था परन्तु संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया एवं संवेदक ने स्वयं अपने स्तर से कार्य को वापस लेने का विभाग से निवेदन किया जिसके अनुसार कार्य को वापस ले लिया गया। अतः वादी फर्म का उक्त क्लेम निरस्त किया जाता है।

Claim No. 2 (Original) Loss due to holding of men and Machinery for 10 days from 22.05.2011 to 31.05.2011 Rs. 350000.00

Claim No. 1 (Revised as per rejoinder dated 01.09.2021) Loss due to deployment of men and machinery at site from 22.05.2011 to 31.05.2011 (10 days) Rs. 3,50,000/-

उक्त क्लेम के संदर्भ में समिति द्वारा वादी फर्म के रिजोईण्डर दिनांक 01.09.2021 के साथ संलग्न एनेक्सर 6 पर स्थित उनके द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर को लिखा गया पत्र दिनांक 23.05.2011 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा विभाग को वादी फर्म ने यह अवगत कराया था कि उक्त आवंटित कार्य

दिनांक 22.05.2011 को आपके आदेश की पालना में विधिवत रूप से प्रारम्भ किया जा रहा है। रिजाईण्डर दिनांक 01.09.2021 के साथ संलग्न एनेक्सर 7 पर स्थित वादी फर्म द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, जोधपुर एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जालोर को लिखे गये पत्र दिनांक 24.05.2011 का भी समिति ने अवलोकन किया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से वादी फर्म ने अंकित किया है कि क्षेत्रिय लोगों के विरोध को देखते हुए हमें हमारी जान–माल का खतरा होने के कारण हम हमारे समस्त संसाधन निर्माण स्थल से हटा रहे है।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर ने अवगत कराया कि संवेदक दिनांक 22.05.2011 को साईट पर आया था लेकिन कार्य शुरू किये बिना ही वापस चला गया तथा संवेदक द्वारा किसी प्रकार की मशीनरी नहीं लायी थी तथा नहीं मानव कार्य करने हेतु साईट पर आये थे।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी फर्म द्वारा प्रस्तुत क्लेम एवं उनकी फर्म द्वारा किये गये पत्राचार में विरोधाभाष है अतः उक्त से स्पष्ट होता है कि कार्य पर वादी फर्म द्वारा किसी प्रकार की मशीनरी नहीं लायी गयी तथा नहीं मानव कार्य करने हेतु साईट पर आये। अतः उक्त क्लेम निरस्त किया जाता है।

Claim No. 3 (Original) Earnest Money Rs. 20000.00 (Not claimed through rejoinder dated 01.09.2021)

वादी फर्म द्वारा इस संबंध में बतलाया गया कि राशि रूपये 20,000/– का भुगतान प्राप्त हो गया है, अतः रिजोईण्डर में यह क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संवेदक से कार्य वापस लेने के उपरान्त धरोहर राशि वापस लौटा दी गयी है जिसके अनुरूप वादी फर्म द्वारा अपने रिजोईण्डर दिनांक 01.09.2021 से उक्त क्लेम को हटा लिया गया है अतः उक्त क्लेम पर समिति द्वारा कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।

Claim No. 4 (Original) Interest @ 18% from 22.05.2011 till today (21.05.2012) Rs. 137138.00

Claim No. 3 (Revised as per rejoinder dated 01.09.2021) Interest@18% on amount of claim No. 1 and 2 Rs. 9,29,400/- from 22.05.2011 till date of filing of statement of claims @ 18% and further 18% from date of filing of statement of claim (01.09.2021) till actual payment Rs. 26,49,160/- (9,29,400/- + 17,19,760/-) + future interest.

वादी फर्म द्वारा अनुबंध की धारा 23 के अन्तर्गत विवादों के निस्तारण हेतु प्रस्तुत आवेदन में किये गये क्लेम्स को उपरोक्तानुसार समिति द्वारा निरस्त किया गया है। अतः वादी फर्म किसी प्रकार के ब्याज की राशि पाने का हकदार नहीं है अतः उक्त क्लेम निरस्त योग्य है।

(राजेश कुमार दर्पण) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर	(विनोद चौधरी) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(सुनिल कुमार राघव) संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(हृदयेश कुमार जुनेजा) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(डॉ. पृथ्वी) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।